



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-30042025-262783
CG-TN-E-30042025-262783

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]
No. 332]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2025/वैशाख 10, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2025/VAISAKHA 10, 1947

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

अधिसूचना

चेन्नई, 29 अप्रैल, 2025

फा. सं. एनबीए/टिक/ईसी/9/14/32/.—राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) और धारा 21 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैविक संसाधनों तथा संबद्ध जानकारी तक पहुंच और लाभ साझाकरण विनियम, 2014 संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त, उन बतों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने का लोप किया गया से, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम जैविक विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच तथा लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से इस विनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

- (ग) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य जैव विविधता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "समिति" से अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति अभिप्रेत है;
- (च) "परिषद" से अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र जैव विविधता परिषद अभिप्रेत है;
- (छ) "फीस" से जैव विविधता नियम, 2024 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई फीस अभिप्रेत है;
- (ज) "नियम" से जैव विविधता नियम, 2024 अभिप्रेत है;
- (झ) "अधिकरण" से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 3 द्वारा स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अभिप्रेत है;
- (ञ) "अग्रिम संदाय" से आवेदक द्वारा जैविक संसाधन या उससे संबद्ध जानकारी प्राप्त करने से पहले संदाय की जाने वाली कोई रकम अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं, इन विनियमों में वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और नियमों में हैं।

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबंधित जानकारी जैविक संसाधन तक पहुंचने के लिए लाभ साझाकरण का तरीका.- (1) यदि कोई जैविक संसाधन, जिसमें डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबंधित जानकारी, जिसका संरक्षण मूल्य या उच्च आर्थिक मूल्य है जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित अन्य कोई मद और जिसमें अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजाति सम्मिलित है, को अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए प्राप्त किया जाता है, तो अग्रिम संदाय सहित लाभ साझाकरण की प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जा सकेगी:

परंतु, प्राधिकरण डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध जानकारी सहित कुछ जैविक संसाधनों को, अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए प्रयोग में लाने हेतु, मामला दर मामला आधार पर अग्रिम संदाय की अपेक्षा कर सकेगा:

परंतु यह भी कि यदि किसी जैविक संसाधन, जिसमें डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध जानकारी सम्मिलित है, का उपयोग शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है, तो प्राधिकरण मामले दर मामले के आधार पर, जैसा वह उचित समझे, अग्रिम संदाय सहित लाभ साझा करने से छूट दे सकेगा।

4. अधिनियम की धारा 3 के अधीन वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधन या संबद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभ साझाकरण का तरीका .— (1) जब डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध जानकारी सहित जैविक संसाधन को वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आवेदक को नीचे दी गई सारणी के अनुसार लाभ साझा करने की रकम का भुगतान करना होगा: -

सारणी

क्र .सं.	व्यक्ति का वार्षिक आवर्त (भारतीय रुपए में)	उपयोग के लिए जैविक संसाधन तक पहुंच के लिए लाभ साझा करने के कारण देय रकम (सरकारी करों के सिवाय, उत्पाद का वार्षिक कारखाने सकल विक्रय मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)
1.	5 करोड़ तक	शून्य
2.	5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक	0.2%
3.	50 करोड़ से अधिक 250 करोड़ तक	0.4%
4.	250 करोड़ से अधिक	0.6%

(2) एक करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक आवर्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को उस वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक आयकर या कॉर्पोरेट कर विवरणी को अंतिम रूप देने के तीन मास के भीतर प्ररूप-क वित्तीय वर्ष में उपभोग किए गए जैविक संसाधन के बारे में जानकारी का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(3) इस विनियमन के अधीन लाभ साझाकरण रकम का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संदाय करेगा।

(4) संरक्षण मूल्य या उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित अन्य कोई मद और अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों सहित जैविक संसाधनों के मामले में, लाभ का साझाकरण यथा स्थिति नीलामी आगम या विक्रय रकम या क्रय मूल्य, हो, के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा मामले दर मामले के आधार पर अग्रिम संदाय के रूप में अवधारित किया जाएगा:

परंतु, संरक्षण मूल्य या उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित अन्य कोई मद या अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों सहित जैविक संसाधनों, जिसमें डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबंधित जानकारी सम्मिलित है, के मामले में लाभ साझाकरण घटक इस विनियमन के उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट लाभ साझाकरण रकम से बीस प्रतिशत अधिक होगा।

5. अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए पूर्व सूचना देने की प्रक्रिया.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबंधित जानकारी सहित जैविक संसाधन तक पहुंच बनाने का आशय रखता है, उसे बोर्ड या परिषद को प्ररूप-ख में वेब पोर्टल के माध्यम से फीस (व्यक्ति के मामले में दो हजार रुपये और इकाई के मामले में पांच हजार रुपये) के साथ पूर्व सूचना देनी होगी और आवेदक को उक्त प्ररूप में संलग्न पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अपनी सहमति भी देनी होगी।

परंतु, अधिनियम की धारा 7 के उपबंध अधिनियम की धारा 40 के अधीन यथा अधिसूचित कृषित औषधीय पादपों को प्राप्त करने के मामले में लागू नहीं होंगे।

(2) आवेदक द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण पूर्व सूचना प्रस्तुत करने पर, बोर्ड या परिषद द्वारा ऐसी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर, प्ररूप-ग में पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुरोध को अनुमोदित करके या प्ररूप-घ में अस्वीकृति के कारणों के साथ अनुरोध को अस्वीकार करके इसका निपटान किया जाएगा:

परंतु, यदि आवेदक, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर, बोर्ड या परिषद द्वारा उपांतरित करार पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन बंद कर दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि बोर्ड या परिषद, नब्बे दिन की अवधि के भीतर, यथा लागू फीस के आधे के संदाय की प्राप्ति पर बंद आवेदन पर पुनर्विचार कर सकेगा:

परंतु यह भी है कि आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिकरण में अपील कर सकेगा।

(4) यदि बोर्ड या परिषद आवेदक के पूर्व सूचना प्ररूप का पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो उसे एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित समझा जाएगा।

(5) यदि आवेदक और बोर्ड या परिषद के मध्य कोई विवाद है जिसका निपटारा नहीं हो सका है, तो बोर्ड या परिषद द्वारा मामला इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जिसका निपटारा पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या बोर्ड के लाभ बंटवारे या आदेश के किसी निर्धारण से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिकरण में अपील कर सकेगा।

(7) यदि डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध जानकारी सहित जैविक संसाधन का वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आवेदक को नीचे दी गई सारणी के अनुसार लाभ साझा करने की रकम का संदाय करना होगा।

सारणी

क्र.सं.	व्यक्ति का वार्षिक (भारतीय रुपए में)	उपयोग के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच हेतु लाभ साझा करने के लिए देय रकम [सरकारी करों के सिवाया उत्पाद का वार्षिक कारखाने पर सकल विक्रय मूल्य का प्रतिशत]
(1)	(2)	(3)
1.	5 करोड़ तक	शून्य
2.	5 करोड़ से अधिक 50 करोड़ तक	0.2%
3.	50 करोड़ से अधिक 250 करोड़ तक	0.4%
4.	250 करोड़ से अधिक	0.6%

परंतु, खेती और गैर-खेती दोनों प्रकार के औषधीय पादपों को अन्तर्विष्ट करने वाले उत्पादों का विनिर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, प्राधिकरण और आयुष मंत्रालय के साथ परामर्श करके, समय-समय पर यथा अधिसूचित उत्पादों के संबंध में लाभ-साझाकरण संदाय देय नहीं होगा।

(8) संरक्षण मूल्य या उच्च आर्थिक मूल्य वाले और अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों सहित, जैविक संसाधन जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित अन्य कोई मद के मामले में लाभ की साझेदारी यथा स्थिति नीलामी आगम या बिक्री रकम या क्रय मूल्य की आय के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी, बोर्ड या परिषद द्वारा मामले दर मामले के आधार पर, अग्रिम संदाय के रूप में अवधारित किया जाएगा:

परंतु, संरक्षण मूल्य या उच्च आर्थिक मूल्य वाले या अधिनियम की धारा 38 के अधीन अधिसूचित संकटग्रस्त प्रजातियों सहित, जैविक संसाधन जैसे लाल चंदन, चंदन, अगरवुड या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्णित अन्य कोई मद जिसमें डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबंधित जानकारी सम्मिलित है, के मामले में लाभ साझाकरण घटक इस विनियमन के उप-विनियम (7) में उल्लिखित देय लाभ साझाकरण रकम से बीस प्रतिशत अधिक होगा।

(9) एक करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक आवर्त वाले किसी भी व्यक्ति को उस वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक आयकर या कॉर्पोरेट कर विवरणी को अंतिम रूप देने के तीन मास के भीतर प्ररूप 'क' में वित्तीय वर्ष में उपभोग किए गए जैविक संसाधन के बारे में जानकारी वाला वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(10) इस विनियमन के अनुसार लाभ साझाकरण रकम का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संदाय करना होगा।

6. संग्रहण फीस .— वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी भी जैविक संसाधन के उपयोग के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने या पूर्व सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को नियमों के नियम 11 के खंड (ब) के अधीन तैयार किए गए आदर्श मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपबंधित के अनुसार वेब पोर्टल पर संग्रहण फीस का संदाय करना होगा, जिसे अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा (3) के अधीन समिति को संदाय किया जाना है।

7. जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक जानकारी से संबंधित अनुसंधान के परिणामों को साझा करने या अंतरित करने के लिए लाभ साझाकरण का तरीका — (1) नियमों के नियम 15 के अधीन अनुसंधान के परिणामों को साझा करने या अंतरित करने की स्थिति में आवेदक प्राधिकरण को ऐसा मौद्रिक लाभ या गैर-मौद्रिक लाभ का हिस्सा देगा, जैसा आवेदक और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो:

परंतु यदि आवेदक द्वारा मौद्रिक लाभ प्राप्त कर लिया गया हो, तो ऐसे अंतरण पर आवेदक मौद्रिक प्रतिफल का पांच प्रतिशत तक प्राधिकरण को संदाय करेगा:

परंतु यह भी कि इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से पूर्व स्वीकृत प्रायोजित परियोजनाओं के मामलों में, जहां लाभ साझाकरण के संदाय के लिए कोई बजट निश्चित नहीं किया गया था, प्रायोजक संगठन यह वचनबंध देगा कि यदि अनुसंधान के परिणामों का उपयोग व्यावसायीकरण के लिए किया जाता है, तो लाभों को प्राधिकरण के साथ साझा किया जाएगा और ऐसी परियोजनाओं का प्रायोजन प्राप्त करने वाला भारतीय व्यक्ति प्रायोजक को इस अपेक्षा को संसूचित करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 3 के अधीन आने वाला कोई व्यक्ति, जो जैविक संसाधन या उससे संबद्ध पारंपरिक जानकारी से संबंधित अनुसंधान के परिणामों का वाणिज्यिक उपयोग करने का आशय रखता है, विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन उपबंध के अनुसार प्राधिकरण को लाभ साझा करने की रकम का भुगतान करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 3 के अधीन आने वाला कोई भी व्यक्ति, जो डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध पारंपरिक जानकारी सहित जैविक संसाधन से संबंधित अनुसंधान के परिणामों का उपयोग बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने के लिए करना चाहता है, उसे प्राधिकरण को निम्नानुसार संदाय करना होगा:-

(i) जब आवेदक स्वयं व्यावसायीकरण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करता है, तो मौद्रिक लाभ का साझाकरण क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रतिशत तक होगा, जो मामले दर मामले के आधार पर, सरकारी करों के सिवाय उत्पाद के वार्षिक कारखाने पर सकल विक्रय मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा;

(ii) जब आवेदक बौद्धिक संपदा अधिकारों को व्यावसायीकरण के लिए किसी तीसरे पक्षकार को सौंपता है या लाइसेंस देता है, तो आवेदक को प्राधिकरण को प्राप्त फीस का पांच प्रतिशत (लाइसेंस या समनुदेशिती फीस सहित किसी भी रूप में) और समनुदेशिती या लाइसेंसी से वार्षिक रूप से प्राप्त स्वामिस्व रकम का पांच प्रतिशत, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, मामले दर मामले के आधार पर संदाय करना होगा।

8. अधिनियम की धारा 3 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यावसायीकरण के लिए लाभ साझाकरण तरीका .-- (1) आवेदक प्राधिकरण को ऐसा मौद्रिक लाभ या गैर-मौद्रिक लाभ का संदाय करेगा, जैसा कि आवेदक और प्राधिकरण के बीच सहमति हुई हो:-

(i) जब आवेदक स्वयं व्यावसायीकरण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करता है, तो मौद्रिक लाभ का साझाकरण क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रतिशत तक होगा, जो मामले दर मामले के आधार पर, सरकारी करों के सिवाय उत्पाद के वार्षिक कारखाने पर सकल विक्रय मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा:

परंतु, यदि आविष्कार में पारंपरिक जानकारी सम्मिलित है, तो लाभ साझाकरण का दायित्व देय लाभ साझाकरण रकम से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा:

परंतु, यदि कोई व्यक्ति, बौद्धिक संपदा अधिकारों के समाप्त होने या निरस्त होने पर, उस उत्पाद या प्रक्रिया में जिसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए गए थे, वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध पारंपरिक जानकारी सहित जैविक संसाधन को प्राप्त करने का आशय रखता है, तो उसे नियमों के नियम 13 के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और विनियम 4 के अधीन संदर्भित लाभों को साझा करना होगा।

स्पष्टीकरण.- बौद्धिक संपदा अधिकारों की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधन को प्राप्त करने की स्थिति में, आवेदक केवल इस विनियमन के अधीन लाभ साझा करेगा;

(ii) जब आवेदक व्यावसायीकरण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को किसी तीसरे पक्षकार को सौंपता है या लाइसेंस देता है, तो आवेदक प्राधिकरण को प्राप्त फीस का पांच प्रतिशत (लाइसेंस या समनुदेशिती फीस सहित किसी भी रूप में) और समनुदेशिती या लाइसेंसी से वार्षिक रूप से प्राप्त स्वामिस्व रकम का पांच प्रतिशत, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर, मामले दर मामले के आधार पर संदाय करेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना सहित जैविक संसाधन को प्राप्त करने का आशय रखता है, वह यथा स्थिति प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद, को आवेदन करेगा।

9. अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के वाणिज्यीकरण के लिए लाभ सहभाजन का तरीका - आवेदक, प्राधिकरण को, आवेदक और प्राधिकरण के बीच हुई सहमति के अनुसार, ऐसे मौद्रिक लाभ का संदाय करेगा और या गैर-मौद्रिक लाभ का सहभाजन नीचे दिए अनुसार करेगा:

(i) जब आवेदक स्वयं वाणिज्यीकरण संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करता है, तो मौद्रिक लाभ सहभाजन, क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रतिशत तक की सीमा में होगा, जिसकी गणना मामला-दर-मामला आधार पर सरकारी करों के सिवाय उत्पाद के वार्षिक कारखाने पर सकल विक्रय मूल्य के आधार पर की जाएगी:

परंतु यह कि यदि अविष्कार में पारंपरिक ज्ञान अंतर्निहित है, तो लाभ सहभाजन दायित्व, देय लाभ सहभाजन से पच्चीस प्रतिशत अधिक होगा:

परंतु यह कि यदि कोई व्यक्ति, बौद्धिक संपदा अधिकारों की समाप्ति या प्रतिसंहरण होने पर, डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना या तत्संबंधी संबद्ध पारंपरिक ज्ञान सहित जैविक संसाधन, जिसका उपयोग उस उत्पाद या प्रक्रिया में किया जाना है जिसके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए गए थे, को वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राप्त करने का आशय रखता है, पूर्व अनुमोदन मांगेगा और विनियम 5 के अधीन यथासंदर्भित लाभों का सहभाजन करेगा।

स्पष्टीकरण—आवेदक द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के विद्यमान रहने के दौरान वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधन को प्राप्त करने की स्थिति में, आवेदक केवल इस विनियम के अधीन लाभों को सहभाजन करेगा।

(ii) जब आवेदक, वाणिज्यीकरण के लिए किसी तृतीय पक्षकार को बौद्धिक संपदा अधिकार समनुदेशित करता है या उसका लाइसेंस देता है, तो आवेदक प्राधिकरण को प्राप्त फीस का पांच प्रतिशत तक (लाइसेंस या समनुदेशिती फीस सहित किसी भी रूप में) और मामला-दर-मामला आधार पर क्षेत्रवार दृष्टिकोण पर आधारित, समनुदेशिती या लाइसेंसधारी से वार्षिक रूप से प्राप्त स्वामिस्व रकम के पांच प्रतिशत तक का संदाय करेगा।

10. प्रकाशन के लिए भारत के बाहर निक्षेपागारों में नोवेल माइक्रोबियल स्ट्रेन का निक्षेप – (1) कोई भी भारतीय अनुसंधानकर्ता या वैज्ञानिक, जिसने भारत से नवीन माइक्रोबियल स्ट्रेन की खोज की है और उसे सहमत अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुसार नवीनता का दावा करने हेतु अपनी खोज को जर्नलों में प्रकाशन के लिए भारत से बाहर के निक्षेपागारों में जमा करने का आशय रखता है, प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप 'ड' में आवेदन करेगा।

(2) आवेदक इस अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित एक वाउचर नमूना अभिहित निक्षेपागार में जमा करेगा।

(3) भारत में और भारत से बाहर विनिर्दिष्ट निक्षेपागार किसी भी उपयोगकर्ता को इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई अनुसंधान या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भारतीय कानूनी अपेक्षाओं के बारे में सूचित करेंगे:

परंतु यदि कोई शोधकर्ता वर्गिकी अभिज्ञान संबंधी प्रयोजनों से वाउचर नमूने को संदर्भित करना चाहता है, तो इस प्रकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

(4) आवेदक भारत में संबंधित विनिर्दिष्ट निक्षेपागार द्वारा जारी वाउचर नमूने की प्राप्ति की पावती की एक प्रति इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

11. लाभ सहभाजन के अवधारण के लिए मापदंड – (1) आवेदक द्वारा लाभ का सहभाजन इन विनियमों के लिए प्ररूप 'च' में प्रदान किए गए अनुसार, मौद्रिक और या गैर-मौद्रिक तरीकों से हो सकता है, जैसा कि समिति या लाभ दावेदार के परामर्श से प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद के साथ, मामला दर मामला आधार पर, परस्पर सहमति हुई हो।

(2) विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 7, विनियम 8 और विनियम 9 के अधीन लाभ सहभाजन का अवधारण क्षेत्र-विशिष्ट होगा और उपयोग किए गए जैविक संसाधन की प्रकृति और मात्रा तथा इसकी संधारणीयता, पारिस्थितिकीय प्रभाव, अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी की प्रकृति, प्रस्तावित कार्यकलाप के संभाव्य वाणिज्यिक उपयोग आदि जैसे महत्वपूर्ण बातों पर आधारित होगा। और यह प्राधिकरण विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए मामला दर मामला आधार पर नियत किए जाने वाले अग्रिम संदाय सहित लाभ सहभाजन घटक का प्रतिशत अवधारित करने के लिए सूत्र विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु उन मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिनमें डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना या तत्संबंधी संबद्ध ज्ञान सहित जैविक संसाधनों तक पहुंच, उन प्रौद्योगिकियों या नवाचारों या उत्पादों के लिए है जो महामारियों को नियंत्रित करने, मानव, पशु या पादप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने या खाद्य सुरक्षा या जैव विविधता के संरक्षण के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए विकसित किए गए हैं और ऐसे मामलों में, लाभ सहभाजन, प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, यथा निर्णीत सीमा में कम प्रतिशत पर हो सकता है:

परन्तु यह भी कि परस्पर सहमत गैर-मौद्रिक लाभ में अंशदान की स्थिति में, मौद्रिक लाभ सहभाजन दायित्व, यदि कोई हो, प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद द्वारा अवधारण किए गए अनुसार कम किया जा सकेगा।

(3) लाभ सहभाजन की रकम वही रहेगी, चाहे उत्पाद में एक या अधिक जैविक संसाधन सम्मिलित हों।

(4) जब जैविक संसाधन दो या अधिक बोर्डों या परिषदों के अधिकार क्षेत्र से प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में प्रोद्भूत लाभों की कुल रकम, मामला दर मामला आधार पर संबंधित बोर्डों या परिषदों के साथ सहभाजित की जाएगी।

12. प्राधिकरण, बोर्ड या परिषद और लाभ दावाकर्ता के बीच लाभों का सहभाजन — (1) जब प्राधिकरण द्वारा अनुसंधान या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या अनुसंधान के परिणामों को सहभाजित या अंतरित करने के लिए या बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में लाभ सहभाजन का तरीका निम्नानुसार होगा:-

(क) प्रोद्भूत लाभों का न्यूनतम दस प्रतिशत से अधिकतम पंद्रह प्रतिशत प्राधिकरण को मिलेगा, जिसमें से यथा स्थिति आधी रकम प्राधिकरण, द्वारा रखी जाएगी और शेष आधी रकम संबंधित बोर्ड या परिषद के साथ सहभाजित की जाएगी;

(ख) लाभ सहभाजन की शेष रकम समिति सहित लाभ के दावेदारों के बीच वितरित की जाएगी और ऐसे मामले, जिसमें किसी अज्ञात स्रोत से डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना सहित जैविक संसाधन प्राप्त किया जाता है, में प्राधिकरण प्रोद्भूत लाभ की पूरी रकम अपने पास रख सकेगा जिसका प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के अनुसरण में उपयोग किया जा सकेगा;

(ग) जब डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना और या तत्संबंधी संबद्ध ज्ञान सहित जैविक संसाधन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों से प्राप्त किया जाता है, ऐसे मामले में खंड (ख) के अधीन प्राप्त रकम को किए गए किसी करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार में और ऐसी रीति में जो यह ठीक समझे सीधे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों को अंतरित की जाएगी।

(2) जब बोर्ड या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में लाभ सहभाजन का तरीका निम्नानुसार होगा:-

(क) प्रोद्भूत लाभों का न्यूनतम दस प्रतिशत से अधिकतम पंद्रह प्रतिशत, बोर्ड या परिषद द्वारा अपने पास रखा जाएगा;

(ख) लाभ सहभाजन की शेष रकम समिति सहित लाभ के दावेदारों के बीच वितरित की जाएगी और ऐसे मामले, जिसमें डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना सहित जैविक संसाधन किसी अज्ञात स्रोत से प्राप्त किया जाता है, में बोर्ड या परिषद प्रोद्भूत लाभ की पूरी रकम अपने पास रख सकती है जिसका उपयोग अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के अनुसरण में किया जा सकेगा।

(ग) जब डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना या तत्संबंधी संबद्ध ज्ञान सहित जैविक संसाधन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों से प्राप्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में खंड (ख) के अधीन प्राप्त रकम किए गए किसी करार, के निबंधनों और शर्तों के अनुसार और ऐसी रीति में जो यह ठीक समझे सीधे तौर पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठनों में अंतरित की जाएगी।

(3) राष्ट्रीय जैवविविधता निधि या राज्य जैवविविधता निधि या संघ राज्य क्षेत्र की जैवविविधता निधि में निक्षेपित लाभ सहभाजन की रकम पर अर्जित ब्याज का उपयोग अधिनियम की यथा स्थिति, धारा 27 और धारा 32, के अनुसार किया जाएगा।

(4) शास्तियों की समस्त रकम के साथ-साथ उस पर अर्जित ब्याज की रकम, जो राष्ट्रीय जैव-विविधता कोष या संबंधित राज्य जैव-विविधता कोष या संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता कोष में उपचित हुई है, का उपयोग जैविक संसाधनों के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग में सहायता करने, ऐसे जैविक संसाधन पाए जाने वाले क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविकाओं को बढ़ावा देने तथा अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों को आरम्भ करने हेतु किया जाएगा।

13. अनुमोदन संबंधी करार – अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 6 और धारा 7 के अधीन अनुमोदन संबंधी करार के अधीन निबंधन और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- (क) साधारण उद्देश्य और प्रयोजन;
- (ख) डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना सहित जैविक संसाधन या संलग्न सूचना सहित तत्संबंधी संबद्ध ज्ञान का ब्यौरा;
- (ग) डिजिटल अनुक्रम संबंधी सूचना या तत्संबंधी संबद्ध ज्ञान सहित जैविक संसाधन के अभिप्रेत उपयोग;
- (घ) बौद्धिक संपदा अधिकार अभिप्राप्त करते समय आवेदक के लिए निबंधन और शर्तें;
- (ङ) आर्थिक या गैर-आर्थिक फायदों की प्रकार और मात्रा;
- (च) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसंधान के परिणामों को किसी तीसरे पक्षकार के साथ साझा करने या अंतरित करने पर प्रनिर्बंधन;
- (छ) आवेदक द्वारा यह घोषणा की गई कि जब कभी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के संबंध में प्रास्थिति में परिवर्तन होगा, तो प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद को साठ दिवस की अवधि के भीतर सूचना दी जाएगी;
- (ज) आवेदक द्वारा यह परिचय किया गया है कि वह, जहां कहीं प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद द्वारा अपेक्षित हो, धारा 39 के अधीन यथा निर्दिष्ट भण्डारों में, उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधन का संदर्भित नमूना जमा करेगा;
- (झ) आवेदक द्वारा अनुसंधान और अन्य विकास के बारे में समय-समय पर प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जैसा कि प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है;
- (ञ) देश में लागू अधिनियम, नियम और विनियम तथा अन्य संबंधित विधियों के उपबंधों का पालन करने का दायित्व;
- (ट) उपयोग किए जाने वाले जैविक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के उपायों को सुविधाजनक बनाने की पुष्टि;
- (ठ) जैविक संसाधन एकत्रित करते समय पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने का दावा;
- (ड) विधिक उपबंध जैसे कि समझौते की अवधि, समझौते को समाप्त करने के लिए नोटिस अवधि, खंडों का स्वतंत्र रूप से प्रवर्तन, समझौते की समाप्ति के बाद भी, फायदा साझा करने के खंडों से संबंधित दायित्वों की सीमा के बारे में उपबंध, दायित्व को सीमित करने वाली घटनाएं (प्राकृतिक आपदाएं, आदि), मध्यस्थता, गोपनीयता खंड, यदि कोई हो, आदि;
- (ढ) कोई अन्य शर्त जिसे प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

14. अनुमोदन के निबंधन और शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट करना.— आवेदक, अनुमोदन प्रदान किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों के अनुसार प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

प्रारूप क

(विनियम 4 और 5 देखें)

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) या धारा 7 के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति या अस्तित्व, जिसका वार्षिक व्यापारवर्त एक करोड़ रुपये से अधिक है, द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयुक्त या उपभोग किए गए जैविक संसाधन या संबद्ध ज्ञान के ब्यौरे प्रकट करने के लिए दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण का प्रारूप।

क्रम सं.	विवरण	आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी
1	आवेदक की श्रेणी	(क) व्यक्ति (ख) इकाई
2	आवेदक का नाम और पता (पता पिन कोड, ईमेल, मोबाइल सहित)	

3	जैविक संसाधनों का ब्यौरे (राज्य-वार)			i. जैविक संसाधनों का सामान्य/वैज्ञानिक नाम ii. उपयोग किये गये जैविक संसाधनों की मात्रा iii. उपलब्धता स्रोत (वन्य/खेती/भंडार) iv. भौगोलिक स्थान जहाँ से जैविक संसाधनों को उपलब्ध किया जाता प्राप्त की जाती है।			
4	वाणिज्यिक उपयोग का वर्ष						
5	व्यक्ति या संस्था का वार्षिक व्यापारावर्त और वार्षिक व्यापारावर्त का प्रमाण (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा (सम्यक रूप से प्रमाणित)			अपलोड करें			
क्रम सं.	उत्पाद/जैविक संसाधन	वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 7 या धारा 3(2) के अधीन पूर्व सूचना/अनुमोदन का विवरण	उत्पाद का वार्षिक सकल एक्स-फैक्ट्री विक्रय मूल्य	भुगतान किया गया सरकारी कर, यदि कोई हो	वार्षिक सकल एक्स-फैक्ट्री विक्री मूल्य में से सरकारी कर घटाया गया [7=(5)-(6)]	प्राधिकरण/बोर्ड/परिषद को भुगतान की जाने वाली फायदा साझेदारी राशि (केवल उन त्तियों/संस्था के संबंध में जो फायदा साझेदारी रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं) (भारतीय रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

परिवचन

1. मैं घोषणा करता हूँ कि जब भी अपेक्षित होगा, सुसंगत अभिलेख प्राधिकरण या बोर्ड या परिषद के साथ प्रस्तुत या साझा किए जाएंगे।
2. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि प्रारूप में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है तथा किसी भी गलत या अशुद्ध जानकारी और तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक:

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम

प्रारूप ख
(विनियम 5 देखें)

अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैविक संसाधनों, डिजिटल अनुक्रम सूचना या उससे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच के लिए बोर्ड या परिषद को पूर्व सूचना देने के लिए मॉडल आवेदन प्रारूप।

1. आवेदक के विवरण	
(i) आवेदक की श्रेणी	(ड्रॉप डाउन मेनू) (क) व्यक्ति (ख) इकाई
(ii) आवेदक का नाम	
(iii) आवेदक का पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
(iv) व्यक्ति/इकाई का प्रोफाइल अर्थात् व्यवसाय की प्रकृति इत्यादि.	व्यक्तिगत- पैन/ आधार इकाई: पैन/सीआईएन नं.
(v) अंतिम रिटर्न के अनुसार वार्षिक व्यापारावर्त	
(vi) आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण (नाम, पिन कोड सहित डाक पता, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर)	पैन/ आधार
2. जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े उपयोग किए जाने वाले ज्ञान का ब्यौरे (राज्य-वार)	
(i) जैविक संसाधन के ब्यौरे	(ड्रॉप डाउन मेनू) i. जैविक संसाधन का प्रकार (पौधे/पशु/सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक सामग्री/किस्म/संकर/डीएसआई) ii. साधारण नाम iii. वैज्ञानिक नाम (वंश और प्रजाति/ किस्म/उपभेद) iv. पौधे के भाग (बीज, तना, छाल, पत्ती, फूल, फल, जड़, प्रकंद, आनुवंशिक सामग्री, अर्क, स्राव, आदि) v. प्रत्येक जैविक संसाधन की मात्रा (किग्रा/ग्राम/मि.ली .में) vi. उपलब्धता अवधि (अपेक्षित आरंभ और समाप्ति तारीख) vii. उपलब्धता का स्रोत (जंगली/खेती/संस्था/भंडार/व्यापारी/बाजार) viii. भौगोलिक स्थिति (गांव, तालुका, जिला, राज्य)। यदि व्यापारिक संस्थान से खरीदा गया है, तो उनका नाम, पता और संपर्क विवरण प्रदान किया जाना चाहिए; यदि भंडार /संस्थान/डेटाबेस से खरीदा गया है, तो संग्रह का मूल स्थान (पासपोर्ट डेटा) प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii)	इससे संबंधित ज्ञान के ब्यौरे: (राज्य-वार)	
(क)	संबद्ध ज्ञान का प्रकार (मौखिक/दस्तावेजीकृत)	
(ख)	पारंपरिक ज्ञान के ब्यौरे (100 शब्दों से अधिक नहीं)	
(ग)	पारंपरिक ज्ञान धारक का नाम (व्यक्तिगत समुदाय)	
(घ)	पारंपरिक ज्ञान धारक का पता (व्यक्तिगत समुदाय)	
3.	एसे प्रयोजन जिनके लिए वाणिज्यिक उपयोग का प्रकार और सीमा उससे व्युत्पन्न होने वाले और उससे व्युत्पन्न होने की अपेक्षित सम्मिलित है।	
(i)	वाणिज्यिक उपयोग के बारे में संक्षिप्त विवरण	
(ii)	वाणिज्यिक उपयोग की अपेक्षित अवधि	
4.	क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग का उद्देश्य अभिप्राप्त बौद्धिक संपदा अधिकार का व्यावसायीकरण करना है	हां या नहीं यदि हाँ, तो अधिनियम की धारा 6(1ख) के अधीन प्राधिकरण से अभिप्राप्त अनुमोदन की प्रति अपलोड करें
5.	फायदा साझा करने का पसंदीदा तरीका	(i) आर्थिक (ii) गैर-आर्थिक (iii) दोनों
6.	उपलब्ध जैव संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से देश या समुदायों को होने वाले फायदा का अनुमान लगाना	(वैकल्पिक)
7.	कोई अन्य सुसंगत जानकारी	
8.	आवेदन फीस के प्रेषण का विवरण (भुगतान का तरीका, अंतरण आईडी, रकम, तारीख, आदि)	
घोषणा		
मैं/हम घोषणा करते हैं कि:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित जैव संसाधन के संग्रहण से संसाधनों के संपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; 2. प्रस्तावित जैव संसाधन के संग्रहण से कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा; 3. प्रस्तावित जैव संसाधन के संग्रहण से पारिस्थितिकी तंत्र को कोई खतरा नहीं होगा; और 4. प्रस्तावित जैव संसाधन और उससे संबंधित ज्ञान के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5. मैं/हम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पारस्परिक रूप से सहमत मॉडल शर्तों में निहित नियमों और शर्तों से सहमत हूँ/हैं तथा इन्हें प्रस्तावित जैव संसाधन और उससे संबंधित ज्ञान तक पहुंच के लिए प्रस्तुत किया गया है। 		
मैं/हम यह भी घोषणा करता/करती हैं कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और उचित है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है। मैं/हम किसी भी गलती या गलत जानकारी और तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।		
स्थान	हस्ताक्षर	
दिनांक	नाम	

फॉर्म ग

(विनियमन 5 देखें)

पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदन

[कार्यालय से प्राप्त] _____

[पता] _____

आवेदन संख्या.....

तारीख:.....

सेवा में

महोदय/महोदया,

कृपया अपने आवेदन संख्या तारीख का संदर्भ लें, जिसे आपने राज्य जैव विविधता बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को प्रस्तुत किया था, जिसमें समय-समय पर संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 7 के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग के उद्देश्य से जैव संसाधनों और/या उससे संबंधित ज्ञान तक पहुंच के लिए अनुमोदन मांगा गया था।

राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद, आवेदन की जांच करने तथा आवेदक की बात सुनने के पश्चात, समय-समय पर यथासंशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23(ख) और धारा 24(2) के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों के साथ, तारीख..... के (प्ररूप संख्या और आवेदन संख्या) में आवेदन को अनुमोदित करती है।

अथवा

राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद, आवेदन की जांच करने तथा आवेदक की बात सुनने के पश्चात, समय-समय पर संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23(ख) तथा धारा 24(2) के अधीन तारीख के (प्ररूप संख्या और आवेदन संख्या) में आवेदन को पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनो और व शर्तों में निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित करती है, अर्थात्:-

.....

आपसे अनुरोध है कि आप बोर्ड या परिषद द्वारा प्रस्तावित संशोधित नियमों और शर्तों पर अपनी सहमति दें और पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करें, अन्यथा आपका आवेदन विनियमन 5 के अनुसार बंद कर दिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सदस्य सचिव

(नाम) राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद,

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. (नाम) जैव विविधता प्रबंधन समिति
2. राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु- एक प्रति

फॉर्म घ
(विनियम 5 देखें)
अस्वीकृति का आदेश

[कार्यालय से प्राप्त] _____

[पता] _____

आवेदन संख्या.....

तारीख:.....

सेवा में

महोदय/महोदया,

कृपया अपने आवेदन संख्या तारीख का संदर्भ लें, जो आपने राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को प्रस्तुत किया था, जिसमें समय-समय पर संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 7 के अधीन वाणिज्यिक उपयोग के उद्देश्य से जैव संसाधनों और/या उससे संबंधित ज्ञान के उपयोग के लिए अनुमोदन मांगा गया था।

2. राज्य जैव विविधता बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद, आवेदन की जांच करने और आवेदक की बात सुनने के बाद, समय-समय पर संशोधित जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 23 (ख) और धारा 24(2) के अधीन तारीख के (फॉर्म संख्या और आवेदन संख्या) में प्रस्तुत आवेदन को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत करती है:-

.....
.....
.....

3. समय-समय पर संशोधित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 52क के अनुसार, आप इस आदेश के जारी होने की सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील फाईल कर सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सदस्य सचिव

(नाम) राज्य जैव विविधता बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद,

सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. (नाम) जैव विविधता प्रबंधन समिति।
2. राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु- एक प्रति

फॉर्म ड

(विनियम 10 देखें)

भारत से नवीन स्ट्रेन की खोज के दावे के लिए भारत के बाहर के रिपोजिटरी में भारतीय शोधकर्ता द्वारा सूक्ष्मजीव के डिपोजीशन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को पूर्व सूचना देने के लिए आवेदन

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी
1.	आवेदक का नाम (जमाकर्ता)	
2.	आवेदक की श्रेणी	क) शोधकर्ता ख) संस्था
3.	संपर्क ब्यौरे के साथ पूरा पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
4.	विदेशी रिपोजिटरी में जमा किये जाने वाले सूक्ष्मजीव का नाम	
5.	भौगोलिक स्थान जहाँ से सूक्ष्मजीव एकत्र किया गया था	
6.	विदेशी भंडार का नाम और संपर्क ब्यौरे जहाँ से जैविक संसाधन जमा किए जाने हैं (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
7.	भारतीय रिपोजिटरी का नाम और संपर्क ब्यौरे जहाँ जैविक संसाधन जमा किए गए हैं (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्पिक मोबाइल नंबर और या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	
8.	भारतीय रिपोजिटरी द्वारा जमा किये गए सूक्ष्मजीव को आवंटित परिग्रहण संख्या	

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विदेशी रिपोजिटरी को सूचित करूंगा कि कोई भी गैर-भारतीय उपयोगकर्ता अनुसंधान करने या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोगिता या वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए इस संग्रह में जमा किए गए सूक्ष्मजीव का उपयोग करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।

इसके अलावा, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ और सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम किसी भी गलत या अशुद्ध जानकारी और तथ्यों को जानबूझकर गुप्त रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थान:

तारीख: आवेदक (जमाकर्ता) के हस्ताक्षर

फॉर्म च

उचित और साम्यापूर्ण लाभ साझाकरण विकल्प

(विनियम 11 देखें)

अधिनियम की धारा 21 और 23 के उपबंधों के अनुसार, निम्नलिखित विकल्पों में से एक या अधिक विकल्प, मामला-दर-मामला आधार पर आवेदक और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण या राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों के अनुसार लागू किए जा सकते हैं। ये विकल्प सांकेतिक प्रकृति के हैं और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं:

(क) आर्थिक लाभ विकल्प:

- (i) अग्रिम भुगतान;
- (ii) एकमुश्त भुगतान;
- (iii) माइलस्टोन भुगतान;
- (iv) अर्जित रॉयल्टी और फायदा का हिस्सा;
- (v) लाइसेंस फीस का हिस्सा;
- (vi) राष्ट्रीय, राज्य/संघ शासित प्रदेश या स्थानीय जैव विविधता निधि में योगदान;
- (vii) भारत में अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण;
- (viii) भारतीय संस्थानों और कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम;

(ख) गैर-आर्थिक लाभ विकल्प:

- (i) संस्थागत क्षमता निर्माण प्रदान करना, जिसमें संधारणीय उपयोग प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण, अवसंरचना का निर्माण (स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपशिष्ट/ कूड़ा खाद का निपटान, सुरक्षित पेयजल/सौर ऊर्जा संचालित रोशनी उपलब्ध कराना) और जैविक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग से संबंधित विकास कार्य सम्मिलित है;
- (ii) स्थानीय लोगों/समुदायों को हरित तकनीक प्रदान करके भारतीय संस्थाओं/व्यक्तियों/संस्थाओं को तकनीक का अंतरण करना या अनुसंधान और विकास परिणामों को साझा करना;
- (iii) पर्यावास विनाश या क्षेत्रों के प्रदूषण या संदूषण को रोकने के लिए उपचारात्मक और पुनर्स्थापन गतिविधियाँ;
- (iv) भारत में तकनीकी विकास और अंतरण और/या भारतीय संस्थानों/व्यक्तियों/संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए क्षमताओं को प्रोत्साहित करना;
- (v) भारत में जैविक संसाधनों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग पर शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित योगदान/सहयोग;
- (vi) स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली उत्पादन, अनुसंधान और विकास इकाइयों/सुविधाओं की स्थापना और स्थानीय समुदायों के लिए आय अर्जन;
- (vii) जिन क्षेत्रों से जैविक संसाधनों का दोहन किया गया उन क्षेत्रों में नर्सरी और/या वृक्षारोपण करके दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों सहित प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उचित उपाय करना,
- (viii) जैव विविधता की सूची निर्माण और संसाधन मूल्यांकन पर अध्ययन/परियोजनाएँ शुरू करना
- (ix) जैविक सूची और वर्गीकरण अध्ययन सहित जैविक विविधता के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक जानकारी साझा करना;

- (x) भारत में खाद्य, स्वास्थ्य और जीविका सुरक्षा सहित प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान करना, जिसमें जैविक संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करना सम्मिलित है;
- (xi) व्यक्तियों को जैविक संसाधनों की आपूर्ति और उत्तरवर्ती लाभकारिता यदि कोई है, में योगदान देने वाले क्षेत्र/जनजातियां जीवन-यापन लागत आदि सहित छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा भारतीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना,
- (xii) फायदा दावेदारों के हित में सहायता के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना करना;
- (xiii) सुसंगत बौद्धिक संपदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व।
- (xiv) वेतन और अधिमान्य निबंधन, जहां परस्पर सहमति हो।

डॉ. बी. बालाजी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./65/2025-26]

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

NOTIFICATION

Chennai, the 29th April, 2025

F. No. NBA/Tech/EC/9/14/32/.—In exercise of the powers conferred by section 64 read with sub-section (1) of section 18 and sub-section (4) of section 21 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and in supersession of the Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Biodiversity Authority, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Biological Diversity (Access to Biological Resources and Knowledge Associated thereto and Fair and Equitable Sharing of Benefits) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003);
- (b) “authorised officer” means any officer authorised by the Authority or State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council for the purposes of this regulations;
- (c) “Authority” means the National Biodiversity Authority established under sub-section (1) of section 8 of the Act;
- (d) “Board” means the State Biodiversity Board established under sub-section (1) of section 22 of the Act;
- (e) “Committee” means a Biodiversity Management Committee established under sub-section (1) of section 41 of the Act;
- (f) “Council” means the Union territory Biodiversity Council established under sub-section (2) of section 22 of the Act;
- (g) “fee” means any fee as specified in the First Schedule to the Biological Diversity Rules, 2024;
- (h) “rules” means the Biological Diversity Rules, 2024;
- (i) “Tribunal” means the National Green Tribunal established by section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010);
- (j) “upfront payment” means any amount to be paid before accessing the biological resource or knowledge associated thereto by the applicant.

(2) The words and expressions used but not defined in these Regulations and defined in the Act or Rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and Rules.

3. Mode of benefit sharing for accessing biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto for research or bio-survey and bio-utilisation under section 3 of the Act.—(1) In case a biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto, having

conservation value or high economic value such as red sanders, sandalwood, agarwood or any other items as decided by the Authority from time to time, and including threatened species notified under section 38 of the Act, is accessed for research or for bio-survey and bio-utilisation, the benefit sharing including the upfront payment may be determined by the Authority:

Provided that the Authority may also require upfront payment on certain biological resources including digital sequence information or knowledge associated thereto, when accessed for research or for bio-survey and bio-utilisation, on case to case basis:

Provided further that in case a biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto, is accessed for conducting academic research, the Authority may waive the benefit sharing including upfront payment, as it deems fit, on case to case basis.

4. Mode of benefit sharing for access to biological resource or associated knowledge for commercial utilisation under section 3 of the Act.—(1) When the biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto, is accessed for commercial utilisation, the applicant shall have to pay benefit sharing amount as per the Table given below:—

Table

Sl. No.	Annual turnover of the person (in Indian rupee)	Amount payable on account of benefit sharing for access to biological resource for commercial utilisation (Percentage of annual gross ex-factory sale price of product excluding Government taxes)
(1)	(2)	(3)
1.	Up to 5 crore	Nil
2.	Above 5 crore to 50 crore	0.2%
3.	Above 50 crore to 250 crore	0.4%
4.	Above 250 crore	0.6%

(2) Any person having an annual turnover of more than one crore rupees shall submit an annual statement containing information regarding the biological resource consumed in the financial year in Form A, within three months of finalisation of annual income tax or corporate tax return in respect of that financial year.

(3) The person liable to pay benefit sharing amount under this regulation shall make the payment digitally through web portal.

(4) In case of biological resource having conservation value or high economic value such as red sanders, sandalwood, agarwood or any other items as decided by the Authority from time to time, and including threatened species notified under section 38 of the Act, the benefit sharing shall not be less than five percent. of the proceeds of the auction or sale amount or the purchase price, as the case may be, as determined by the Authority on case to case basis, as upfront payment:

Provided that in case of biological resource having conservation value or high economic value such as red sanders, sandalwood, agarwood or any other items as decided by the Authority from time to time, and including threatened species notified under section 38 of the Act, including digital sequence information or knowledge associated thereto, the benefit sharing component shall be twenty percent. more than the benefit sharing amount due as referred under sub-regulation (1) of this regulation.

5. Procedure for prior intimation for commercial utilisation by persons covered under section 7 of the Act.—

(1) Any person who intends to access biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto, for commercial utilisation shall give prior intimation to the Board or Council through a web portal in Form B along with the fee (two thousand rupees in case of an individual and five thousand rupees in case of an entity) and the applicant shall also give their consent to the mutually agreed terms and conditions appended to the said Form.

Provided that the provisions of section 7 of the Act shall not apply in case of access to cultivated medicinal plants as notified under section 40 of the Act.

(2) Upon submission of the prior intimation by the applicant, complete in all respect, it shall be disposed of by the Board or Council, within a period of fifteen days from the date of such submission, by either approving the request with or without modification in the mutually agreed terms and conditions in Form-C or by rejecting the request along with reasons for rejection in Form-D:

Provided that if the applicant does not sign the agreement as modified by the Board or Council, within a period of fifteen days, the application shall be closed under intimation to the applicant:

Provided further that the Board or Council may revive the closed application on receipt of payment of half of the fee as applicable, within a period of ninety days:

Provided also that the application shall not be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) Any person aggrieved by the rejection of the application under sub-regulation (1), may prefer an appeal to the Tribunal.

(4) If the Board or Council does not respond to the prior intimation Form of the applicant within a period of fifteen days, it shall be deemed to have been approved for a period of one year.

(5) In case there is a dispute which could not be settled between the applicant and the Board or Council, the matter shall be referred to the Authority by the Board or Council electronically which shall be disposed of within fifteen days.

(6) Any person aggrieved by any determination of the benefit sharing or order of the Authority or Board under this Act may prefer an appeal to the Tribunal.

(7) When the biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto, is accessed for commercial utilisation, the applicant shall have to pay benefit sharing amount as per the Table given below.—

TABLE

Sl. No.	Annual turnover of the person (in Indian rupee)	Amount payable on account of Benefit sharing for access to biological resources for commercial utilisation [Percentage of annual gross ex-factory sale price of product excluding Government taxes]
(1)	(2)	(3)
1.	Up to 5 crore	Nil
2.	Above 5 crore to 50 crore	0.2%
3.	Above 50 crore to 250 crore	0.4%
4.	Above 250 crore	0.6%

Provided that, for persons manufacturing products containing both cultivated and non-cultivated medicinal plants, the benefit-sharing payment shall not be payable in respect of the products as notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in consultation with the Authority and Ministry of Ayush, from time to time.

(8) In case of biological resource having conservation value or high economic value such as red sanders, sandalwood, agarwood or any other items as decided by the Authority from time to time, and including threatened species notified under section 38 of the Act, the benefit sharing shall not be less than five percent. of the proceeds of the auction or sale amount or the purchase price, as the case may be, as determined by the Board or Council, on case to case basis, as upfront payment:

Provided that in case of biological resource having conservation value or high economic value such as red sanders, sandalwood, agarwood or any other items as decided by the Authority from time to time, and including threatened species notified under section 38 of the Act, including digital sequence information or knowledge associated thereto, the benefit sharing component shall be twenty percent. more than the benefit sharing amount due as mentioned in sub-regulation (7) of this regulation.

(9) Any person having an annual turnover of more than one crore rupees shall submit an annual statement containing information regarding the biological resource consumed in the financial year in Form A, within three months of finalisation of annual income tax or corporate tax return in respect of that financial year.

(10) The person liable to pay benefit sharing amount in terms of this regulation shall make the payment digitally through web portal.

6. Collection fees.— Any person seeking prior approval or giving prior intimation for access to any biological resource for commercial purposes, shall pay a collection fee, as may be provided in the model guidelines formulated under clause (w) of rule 11 of the rules, on the web portal to be paid to the Committee under sub-section (3) of section 41 of the Act.

7. Mode of benefit sharing for sharing or transferring results of research relating to biological resource or traditional knowledge associated thereto.—(1)The applicant shall, in case of sharing or transfer of results of research under rule 15 of the rules shall pay to the Authority such monetary benefit or share non-monetary benefit, as agreed between the applicant and the Authority:

Provided that in case the monetary benefits have been received by the applicant, on such transfer, the applicant shall pay to the Authority up to five percent. of the monetary consideration:

Provided further that in cases of sponsored projects allowed prior to the date of commencement of these regulations, where no budget had been earmarked for payment of benefit sharing, the sponsoring organisation shall give an undertaking that in case the results of research are used for commercialisation, the benefits shall be shared with the Authority and the Indian person availing sponsorship of such projects shall keep the sponsor informed of this requirement.

(2) Any person covered under section 3 of the Act, who intends to use the results of research relating to biological resource or traditional knowledge associated thereto, for commercial utilisation, shall pay the benefit sharing amount to the Authority as provided under sub-regulation (1) of regulation 4.

(3) Any person covered under section 3 of the Act, who intends to use the results of research relating to biological resource including digital sequence information or traditional knowledge associated thereto, for obtaining intellectual property rights shall pay to the Authority as given below:—

(i) when the applicant himself uses the intellectual property rights for commercialisation, the monetary benefit sharing shall be in the range of up to one percent. based on sectoral approach, which shall be worked out on the annual gross ex-factory sale price of product excluding Government taxes, on case to case basis;

(ii) when the applicant assigns or licenses the intellectual property rights to a third party for commercialisation, the applicant shall pay to the Authority up to five percent. of the fee received (in any form including the license or assignee fee) and up to five percent. of the royalty amount received annually from the assignee or licensee, based on sectoral approach, on case to case basis.

8. Mode of benefit sharing for commercialisation of intellectual property rights by persons covered under section 3 of the Act.— (1) The applicant shall pay to the Authority such monetary benefit or share non-monetary benefit, as agreed between the applicant and the Authority:—

(i) when the applicant himself uses the intellectual property rights for commercialisation, the monetary benefit sharing shall be in the range of up to one percent. based on sectoral approach, which shall be worked out on the annual gross ex-factory sale price of the product excluding Government taxes, on case to case basis:

Provided that in case the traditional knowledge is involved in the invention, the benefit sharing obligation shall be twenty-five percent. higher than the benefit sharing due:

Provided further that any person, if upon cease or revocation of the intellectual property rights, intends to access the biological resource including digital sequence information or traditional knowledge associated thereto, to be used in the product or process for which intellectual property rights were obtained, for commercial utilisation, shall seek prior approval, as provided under rule 13 of the rules and share the benefits as referred to under regulation 4.

Explanation. —In the event of the applicant accessing biological resource for commercial utilisation during the existence of intellectual property rights, the applicant shall share the benefits only under this regulation;

(ii) when the applicant assigns or licenses the intellectual property rights to a third party for commercialisation, the applicant shall pay to the Authority up to five percent. of the fee received (in any form including the license or assignee fee) and up to five percent. of the royalty amount received annually from the assignee or licensee, based on sectoral approach, on case to case basis.

(2) Any person who intends to access the biological resource including digital sequence information, for commercialisation of the intellectual property rights, shall apply to the Authority or the Board or Council, as the case may be.

9. Mode of benefit sharing for commercialisation of intellectual property rights by persons covered under section 7 of the Act.— The applicant shall pay to the Authority such monetary benefit and or share non-monetary benefit, as agreed between the applicant and the Authority, as under,—

(i) when the applicant himself uses the intellectual property rights for commercialisation, the monetary benefit sharing shall be in the range of up to one percent. based on sectoral approach, which shall be worked out on the annual gross ex-factory sale price of the product excluding Government taxes, on case to case basis:

Provided that in case the traditional knowledge is involved in the invention, the benefit sharing obligation shall be twenty-five percent. higher than the benefit sharing due:

Provided further that any person, if upon cease or revocation of the intellectual property rights, intends to access the biological resource including digital sequence information or traditional knowledge associated thereto, to be used in the product or process for which intellectual property rights were obtained, for commercial utilisation, shall seek approval and share the benefits as referred to under regulation 5.

Explanation.—In the event of the applicant accessing biological resource for commercial utilisation during the existence of intellectual property rights, the applicant shall share the benefits only under this regulation.

(ii) when the applicant assigns or licenses the intellectual property rights to a third party for commercialisation, the applicant shall pay to the Authority up to five percent. of the fee received (in any form including the license or assignee fee) and up to five percent. of the royalty amount received annually from the assignee or licensee, based on sectoral approach, on case to case basis.

10. Deposition of novel microbial strain in the repositories outside India for publication.—(1) Any Indian researcher or scientist who has discovered a novel microbial strain from India and intends to deposit the same in the repositories outside India for publication in the journals for claiming novelty as per the agreed international requirements, shall apply on the web portal of the Authority in Form E as appended to these Regulations.

(2) The applicant shall deposit one voucher specimen in the designated repository as required under sub-section (3) of section 39 of the Act.

(3) The designated repositories in and outside India shall inform any user about the Indian legal requirements for obtaining prior approval of the Authority for undertaking any research or bio-survey and bio-utilisation or commercial utilisation as per section 3 of the Act:

Provided that if any researcher desires to refer to the voucher specimen for taxonomical identification purposes, such approval is not required.

(4) The applicant shall submit a copy of the acknowledgement of the receipt of voucher specimen issued by the designated repository concerned in India to the Authority.

11. Criteria for determination of benefit sharing.—(1) The benefit sharing by the applicant may be in monetary and or non-monetary modes, as mutually agreed with the Authority or the Board or Council in consultation with the Committee or the benefit claimer, on case to case basis, as provided in Form F appended to these regulations.

(2) Determination of benefit sharing under regulations 3, 4, 5, 7, 8 and 9 shall be sector specific and based on considerations such as nature and quantity of biological resource used and its sustainability, ecological impact, nature of technology applied, potential commercial use of the proposed activity, etc. and the Authority shall specify the formula for determining the percentage of benefit sharing component including upfront payment to be fixed on case to case basis, for undertaking different activities:

Provided that special consideration may be given to cases where access to biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto is for technologies or innovations or products that are developed leading to intellectual property rights for controlling epidemics, mitigating environmental pollution affecting human, animal or plant health, or for food security or conservation of biodiversity, and in such cases, the benefit sharing may be at a lower percentage in the range, as decided by the Authority or the Board or Council, on case to case basis:

Provided further that in the event of contribution to non-monetary benefit as mutually agreed, the monetary benefit sharing obligation, if any, may be reduced, as determined by the Authority or the Board or Council.

(3) The amount of benefit sharing shall remain the same whether the product contains one or more biological resources.

(4) Where the biological resource is sourced from the jurisdiction of two or more Boards or Councils, the total amount of the accrued benefits shall be shared with the Boards or Councils concerned, proportionately, on a case to case basis.

12. Sharing of benefits among Authority, Board or Council and benefit claimer.—(1) Where approval has been granted by the Authority for research or for commercial utilisation or for sharing or transferring results of research or for intellectual property rights, the mode of benefit sharing shall be as under:—

(a) a minimum of ten percent. to maximum of fifteen percent. of the accrued benefits shall go to the Authority, out of which half of the amount may be retained by the Authority, as the case may be, and the other half may be shared with the Board or Council concerned;

(b) the remaining amount of benefit sharing shall be distributed among the benefit claimers including the Committee and in case where the biological resource including digital sequence information is accessed from an unknown source, the Authority may retain the full amount of the accrued benefit which may be utilised by the Authority in accordance with sub-section (2) of section 27 of the Act;

(c) where the biological resource including digital sequence information and or knowledge associated thereto is sourced from an individual or a group of individuals or organisations, the amount received under clause (b) shall be directly transferred to such individual or a group of individuals or organisations, in accordance with the terms and conditions of any agreement and in such manner as it deems fit.

(2) Where approval has been granted by the Board or Council, the mode of benefit sharing shall be as under:—

(a) a minimum of ten percent. to maximum of fifteen percent. of the accrued benefits shall be retained by the Board or Council;

(b) the remaining amount of benefit sharing shall be distributed among the benefit claimers including the Committee and in case the biological resource including digital sequence information is accessed from an unknown source, the Board or Council may retain the full amount of the accrued benefit, which may be utilised in accordance with sub-section (2) of section 32 of the Act;

(c) where the biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto is sourced from an individual or a group of individuals or organisations, the amount received under clause (b) shall be directly transferred to such individual or a group of individuals or organisations, in accordance with the terms and conditions of any agreement and in such manner as it deems fit.

(3) The interest earned on the benefit sharing amount deposited in the National Biodiversity Fund or the State Biodiversity Fund or Union territory Biodiversity Fund shall be utilised as per section 27 and section 32 of the Act, as the case may be.

(4) All penalties together with interest earned thereof accrued in the National Biodiversity Fund or the State Biodiversity Fund or the Union territory Biodiversity Fund concerned, shall be used to support conservation and sustainable use of the biological resources, promote livelihoods of the local people of the area where such biological resources occur and to undertake various activities to meet the objectives of the Act.

13. The agreement for approvals.—The terms and conditions under the agreement for approval under sections 3, 4, 6 and 7 of the Act shall amongst other things, include the following, namely:—

(a) general objectives and purpose;

(b) details of the biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto including accompanying information;

(c) intended uses of the biological resource including digital sequence information or knowledge associated thereto;

(d) terms and conditions for the applicant while obtaining intellectual property rights;

(e) nature and quantum of monetary or non-monetary benefits;

(f) restrictions on sharing or transferring the results of research to any third party without prior approval of the Authority;

(g) declaration by the applicant that whenever there is change in the status with regard to sub-section (2) of section 3 of the Act, intimation shall be given to the Authority or the Board or Council within a period of sixty days;

(h) undertaking by the applicant to deposit a reference sample of the biological resource to be accessed, wherever required by the Authority or Board or Council, with the repositories so designated under section 39;

(i) submission of periodic status reports by the applicant about research and other developments, as may be prescribed by the Authority or Board or Council;

(j) obligation to abide by the provisions of the Act, rules and regulations, and other related laws in force in the country;

(k) affirmation to facilitate measures for conservation and sustainable use of biological resource to be accessed;

(l) assertion to minimise environmental impacts while collecting the biological resource;

(m) legal provisions such as duration of the agreement, notice period to terminate the agreement, independent enforceability of clauses, provision regarding the extent to which the obligations relating to benefit sharing clauses survive the termination of the agreement, events limiting liability (natural calamities, etc.), arbitration, confidentiality clause, if any, etc;

(n) any other condition which the Authority or Board or Council may consider necessary for the purposes of the Act.

14. Reporting compliance with the terms and conditions of approval.— The applicant may submit a compliance report to the Authority or Board or Council in accordance with the terms and conditions under which approval is granted.

FORM A

(see regulation 4 and 5)

Format of Annual statement to be filed by a person or entity covered under sub-section (2) of section 3 or section 7 of the Act having annual turn-over of more than one crore for disclosing the details of biological resource or associated knowledge used or consumed for commercial utilisation.

Sl. No.	Particulars		Information to be furnished by the applicant				
1.	Category of the applicant		a. Individual b. Entity				
2.	Name and Address of the applicant (address including PIN code, email, mobile)						
3.	Details of the biological resources (state-wise)		i. Common / scientific name of biological resources ii. Quantity of biological resources accessed iii. Source of access (wild/cultivated/repositories) iv. Geographical location from where the biological resources are accessed.				
4.	Year of commercial utilisation						
5.	Annual Turnover of the person or entity and proof of annual turn over <i>(duly attested by the Chartered Accountant)</i>		Upload				
Sl. No.	Product/ Biological resources	Financial year	Details of Prior intimation/approval under Section 7 or Section 3(2) of the Act	Annual gross ex-factory sale price of the product	Government Taxes paid, if any	Annual gross ex-factory sale price minus government taxes [7=(5)-(6)]	Benefit sharing amount to be paid to Authority/ Board/ Council (only in respect of persons/entity liable to pay benefit sharing amount) (in INR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Undertaking

- I declare that the relevant records shall be furnished or shared with the Authority or Board or Council, as and when required.
- I further declare that the information provided in the form is true and correct and I shall be liable for any incorrect or wrong information and willful suppression of the facts.

Date:

Signature with seal
Name

FORM B

(see regulation 5)

Model Application format for prior intimation to the Board or Council for access to biological resources, digital sequence information or knowledge associated thereto for commercial utilisation by persons covered under section 7 of the Act.

1. Particulars of the applicant	
(i) Category of the applicant	(Drop-down menu) a. Individual b. Entity
(ii) Name of the applicant	
(iii) Address of the applicant <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	
(iv) Profile of the individual / entity ie. Nature of the business etc.	Individual- PAN/Aadhar Entity: PAN/CIN No.
(v) Annual Turnover as per the last finalized return	
(vi) Details of the authorized representative for the applicant <i>(Name with postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and/or landline number)</i>	PAN/Aadhar
2. Details of the biological resources and knowledge associated thereto intended to be accessed (State-wise)	
(i) Details of biological resource	(Drop down menu) i. Nature of the biological resource <i>(plants/animals/microbes/genetic material/variety/hybrid/DSI)</i> ii. Common name iii. Scientific name (Genus and species/ variety/strain) iv. Plant parts (Seed, stem, bark, leaf, flower, fruit, root, rhizome, genetic material, extract, exudate, etc.) v. Quantity of each biological resource (in Kg/gm/ml) vi. Duration of access (expected start and end date) vii. Source of access (wild/cultivated/ institution/repository/trader/ market) viii. Geographical location (village, taluk, district, state). If procured from a trader institute, their name, address and contact details to be provided; if procured from repository / institution/ database, then origin of collection (passport data) to be provided.
(ii) Details about the knowledge associated thereto: (State-wise)	
(a) Nature of the knowledge associated <i>(Oral/ documented)</i>	

(b)	Details of traditional knowledge intended to be accessed (<i>in not more than 100 words</i>)	
(c)	Name of the traditional knowledge holder (individual community)	
(d)	Address of the traditional knowledge holder (individual community)	
3. The purpose for which access is required including the type and extent of commercial utilisation being derived and expected to be derived from it		
(i)	Brief description about the commercial utilisation	
(ii)	Expected duration of commercial utilisation	
4.	Whether proposed commercial utilisation is aimed for commercializing the IPR obtained	Yes or No If yes, upload the copy of the approval obtained from the Authority under Section 6(1B) of the Act
5.	Preferred mode of benefit sharing	i. Monetary ii. Non-monetary iii. Both
6.	Estimation of benefits that would flow to the country or communities arising out of the use of accessed biological resources and knowledge associated thereto	(optional)
7.	Any other information considered relevant	
8.	Details of remittance of application fee <i>(Mode of payment, transaction ID, amount, date, etc.)</i>	
Declaration		
I/We declare that:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Collection of the proposed biological resource shall not adversely affect the sustainability of the resources; 2. Collection of the proposed biological resource shall not entail any environmental impact; 3. Collection of the proposed biological resource shall not pose any risk to the ecosystems; and 4. Collection of the proposed biological resource and knowledge associated thereto shall not adversely affect the local communities. 5. I/we agree with the terms & conditions contained in the model mutually agreed terms, as prescribed by the Authority and the same has been submitted for the proposed access to biological resource and knowledge associated thereto. 		
I/We further declare that the information provided in the application form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and that it conceals nothing and that no part of it is false. I/We shall be liable for any incorrect or wrong information and willful suppression of the facts.		
Place	Signature	
Date	Name	

FORM C

(see regulation 5)

Approval with or without modifications to the mutually agreed terms and conditions

[From] Office of _____

[Address] _____

Application Number.....

Date:.....

To

Sir/Madam,

Please refer to your application number.....datedsubmitted to the State Biodiversity Board/ Union territory Biodiversity Council seeking approval for accessing biological resources and or knowledge associated thereto for the purpose of commercial utilisation under section 7 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), as amended from time to time.

2. The State Biodiversity Board/Union territory Biodiversity Council, after examination of the application and after being heard from the applicant, hereby approves the application in (Form Number and Application number) dated along with the mutually agreed terms and conditions under section 23(b) and section 24 (2) of the Biological Diversity Act, 2002 as amended from time to time.

or

The State Biodiversity Board/Union territory Biodiversity Council, after examination of the application and after being heard from the applicant, hereby approves the application in (Form Number and Application number) dated under section 23(b) and section 24 (2) of the Biological Diversity Act, 2002 as amended from time to time with following modifications in the terms and conditions of mutually agreed terms and conditions, namely:—

.....
.....
.....

You are requested to give your consent to the modified terms and conditions as proposed by the Board or Council and sign the agreement within a period of fifteen days failing which your application shall be closed in terms of regulation 5.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Member Secretary

(Name) State Biodiversity Board/Union territory Biodiversity Council,

Copy for information and necessary action:

1. (Name) Biodiversity Management Committee.
2. A copy to be uploaded on the Website of the State Biodiversity Board.

Form D

(see regulation 5)

Order of Rejection

[From] Office of _____

[Address] _____

Application Number.....

Date:.....

To

Sir/Madam,

Please refer to your application number.....datedsubmitted to the State Biodiversity Board/Union territory Biodiversity Council seeking approval for accessing biological resources and or knowledge associated thereto for the purpose of commercial utilisation under section 7 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003),as amended from time to time.

2. The State Biodiversity Board / Union territory Biodiversity Council, after examination of the application and after being heard from the applicant, hereby rejects the application in(Form Number and Application number) datedunder section 23(b) and section 24 (2) of the Biological Diversity Act, 2002 as amended from time to time, due to the following reasons:-

.....
.....
.....

3. As per section 52A of the Biological Diversity Act, 2002 as amended from time to time, you may file an appeal to the National Green Tribunal established under section 3 of the National Green Tribunal Act, 2010, within a period of 30 days from the date of communication of the issue of this order.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Member Secretary

(Name) State Biodiversity Board / Union territory Biodiversity Council,

Copy for information and necessary action:

1. (Name) Biodiversity Management Committee.
2. A copy to be uploaded on the Website of the State Biodiversity Board.

FORM E

(See regulation 10)

Application for giving prior intimation to the National Biodiversity Authority for deposition of microorganism by an Indian researcher in repositories outside India for claim of discovery of novel strain from India for publication

Sl. No.	Particulars	Information to be furnished
1.	Name of the applicant (Depositor)	
2.	Category of the applicant	(a) Individual researcher (b) Institution
3.	Complete address with contact details <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and or landline number)</i>	
4.	Name of the microorganism to be deposited in the foreign repository	
5.	Geographical location from where the microorganism was/ were collected	
6.	Name and contact details of the foreign repository from where the biological resource are to be deposited <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and or landline number)</i>	
7.	Name and contact details of the Indian repository where the biological resources are deposited <i>(Postal address including PIN code, email, mobile and alternate mobile numbers and or landline number)</i>	
8.	Accession number allotted by the Indian repository to the deposited microorganism	

Declaration

I/We.....declare that I shall inform the foreign repository that any non-Indian user to access the microorganism so deposited with the repository for undertaking research or for bio-survey and bio-utilisation or for commercial utilisation shall obtain prior approval from the National Biodiversity Authority as per the provisions of the Act.

I further declare that I am not a person covered under sub-section (2) of section 3 of the Act.

I also declare and solemnly affirm that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I/We shall be liable for any incorrect or wrong information and willful suppression of the facts.

Place:

Date:

Signature of the applicant (depositor)

FORM F**Fair and equitable benefit sharing options****(See regulation 11)**

The following options, either one or more, may be applied in accordance with mutually agreed terms between the applicant and the National Biodiversity Authority or State Biodiversity Board or Union territory Biodiversity Council, on case to case basis, in accordance with the provisions of sections 21 and 23 of the Act. These options are indicative in nature and other options, as approved by the National Biodiversity Authority in consultation with the Central Government, may also be adopted:

(a) Monetary benefits options:

- i. Upfront payment;
- ii. One-time payment;
- iii. Milestone payments;
- iv. Share of the royalties and benefits accrued;
- v. Share of the license fees;
- vi. Contribution to National or State or Union territory or Local Biodiversity Funds;
- vii. Funding for research and development in India;
- viii. Joint ventures with Indian institutions and companies.

(b) Non-monetary benefits options:

- i. Providing institutional capacity building, including training on sustainable use practices, creating infrastructure (including disposal of waste/composting for a clean environment, providing safe drinking water/solar powered lights) and undertaking development of works related to conservation and sustainable use of biological resources;
- ii. Transfer of technology or sharing of research and development results with Indian institutions/individuals/entities; providing green technologies to the local people/communities;
- iii. Remediation and restoration activities to prevent habitat destruction or pollution or contamination of areas;
- iv. Strengthening of capacities for developing technologies and transfer of technology to India and/or collaborative research and development programmes with Indian institutions/individuals/entities;
- v. Contribution/collaboration related to education and training in India on conservation and sustainable use of biological resources;
- vi. Setting up of production, research, and development units/facilities contributing to the local economy and income generation for the local communities;
- vii. Taking appropriate measures for conservation and protection of species including rare, endangered and threatened species by raising nurseries and/or plantations in the area from where biological resources have been accessed;
- viii. Instituting studies/projects on inventorisation and resource assessment of biodiversity;
- ix. Sharing of scientific information relevant to conservation and sustainable use of biological diversity including biological inventories and taxonomic studies;
- x. Conducting research directed towards priority needs in India including food, health and livelihood security focusing on biological resources;
- xi. Providing scholarships including living costs, etc., to individuals and financial aid to Indian institutions preferably to regions, tribes/sects contributing to the delivery of biological resources and subsequent profitability, if any;
- xii. Setting up of venture capital fund for aiding the cause of benefit claimers;
- xiii. Joint ownership of relevant intellectual property rights;
- xiv. Salaries and preferential terms where mutually agreed.

Dr. B. BALAJI, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./65/2025-26]